आवश्यक

संख्या:76/2017/3578/12-2-2017-60(10)/2017

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2017

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार।

महोदय,

अवगत कराना है कि कृषि क्षेत्र के विकास में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की प्रासंगिकता एवं कृषकों में बढ रही लोकप्रियता के क्रम में भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं के महत्व को दृष्टिग्त रखते हुए विगत वर्ष की भॉति वर्ष 2017-18 में भी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भारत सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 प्रधान मंत्री जी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य हेतु आगामी सिविल सर्विस डे पर दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि हेतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन वाले जनपदों में कार्यदायी संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यो विशेषकर गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी, अधिक क्षेत्रों/फसलों का इन योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादन एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग को बढावा देते हुए योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन के आधार पर पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के संदर्भ में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के पंजीकरण की तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 तक बढा दी गयी है। जनपद स्तर पर इन योजनाओं के पंजीकरण प्रक्रिया व समय-समय पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की वेबसाइट www.darpg.gov.in पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. अत: अनुरोध है कि अपने-अपने जनपद में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रभावी व उत्कृष्ट क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का सार्थक प्रयास किया जाये जिससे कि वर्ष 2017-18 में यह पुरस्कार प्रदेश को प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।